न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 43/2019 (2019/00149)

प्रार्थी

शांतिलाल उर्फ बाबूलाल पुत्र सरदारमल, जाति महाजन, निवासी – शांतिपुरा की गली, हाथीराम का ओड़ा, जोधपुर हाल ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पुनमचंद पुत्र शांतिलाल उर्फ बाबुलाल, जाति महाजन, निवासी – ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर। हाल निवासी– शांतिपुरा की गली, हाथीराम का ओड़ा, जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत पालासनी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर जरिये सचिव।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 18.03.1976 ग्राम पंचायत पालासनी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर के द्वारा जरिये मिसल संख्या 88/74, पट्टा नम्बर 68 के निरस्ती बाबत्।

– – –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (अप्रार्थी संख्या 1)।
3. अधिवक्ता श्री गोपलकृष्ण बोहरा (अप्रार्थी संख्या 2)।

–आदेष – दिनांक : **20.04.2021**

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व का एक भूखण्ड ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर की आबादी भूमि में आया हुआ है। प्रार्थी द्वारा उस पर दुकान निर्मित की हुई है। उक्त दुकान को कुछ समय पूर्व पेमाराम पुत्र अमराराम द्वारा किराये पर ली गई थी, जिसका किरायानामा प्रार्थी के पुत्र विकास एवं पेमाराम के मध्य निष्पादित किया हुआ है, कुछ माह तक तो पेमाराम दुकान का किराया अदा करता रहा, तत्पश्चात् दुकान का किराया देना बन्द कर दिया। इस पर प्रार्थी के पुत्र ने किरायेदार को एक विधिक नोटिस भेजकर बकाया किराया अदा करने एवं दुकान का खाली कब्जा देने बाबत् सूचित किया गया, उक्त नोटिस के जवाब में किरायेदार ने प्रार्थी के पुत्र को दुकान मालिक मानने से इंकार कर दिया और दुकान अप्रार्थी संख्या एक के स्वामित्व की होना बताया। किरायेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested

व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त दुकान में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से विद्युत संबंध लेकर मीटर लगवा दिया गया। इस पर प्रार्थी ने विद्युत विभाग में अप्रार्थी के नाम से जारी विद्युत संबंध को हटाकर प्रार्थी ने नाम से विद्युत संबंध जारी करने बाबत् कार्यवाही प्रारम्भ की तो विद्युत विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई कि निगरानीधानी पट्टे के आधार पर विद्युत विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम विद्युत संबंध किया गया। विद्युत विभाग के जरिये प्रार्थी को निगराधीन पट्टे के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर उक्त पट्टा विलेख से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत पालासनी से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण बोहरा ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने बिन्दुवार लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि निगरानीकर्ता के द्वारा एक निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, बाबत् ग्राम पंचायत पालासनी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर के द्वारा मिसल संख्या 88/74, पट्टा नम्बर 68, दिंनाक 18.03.1976 को निरस्त करवाने बाबत् श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जो अंतरित होकर श्रीमान् न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है।

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जो पट्टा जारी किया गया है, वह पट्टा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से कुछ समय पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 01 व तत्कालीन ग्राम सेवक एवं अन्य व्यक्तियों ने पंचायत के रेकर्ड में काट–छाट करके दिंनाक 18.03.1976 का जारी किया गया है, जो पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट दर्शित होता है तथा उक्त पट्टा इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा दिंनाक 18.03.1976 को जारी किया गया है तथा उसकी मिसल संख्या 88/74 यानि वर्ष 1974 में संधारित की गई है। वर्ष 1974 में अप्रार्थी संख्या 01 की 03–04 माह की आयु का था, ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थिति में नाबालिग के नाम से पट्टा कुदरती वली ही आवेदन कर प्राप्त कर सकते है, किन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा स्वयं आवेदन कर पट्टा प्राप्त किया गया है। 03–04 माह की आयु में पट्टे हेतु आवेदन करना संभव नहीं है। इससे यह स्पष्ट दर्शित होता है कि पट्टा पूर्ववर्ती तारीखों में रेकर्ड में हेरा–फेरी करके जारी किया गया है।

3. यह है कि मिसल संख्या 88/1974 के जरिये नवरतनमल पुत्र सरदारमल के नाम से दूसरा पट्टा भण्डारीयों का बास, ग्राम पालासनी का जारी किया हुआ है, जो पट्टा मकान के बाबत् जारी किया हुआ है, जो पट्टा रजिस्टर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। किन्तु रेकर्ड में काट–छाट करते समय नवरतनमल का नाम काट कर उक्त स्थान पर पूनमचंद दर्ज कर दिया गया है, किन्तु उक्त पट्टे के विवरण के समस्त तथ्यों को पढने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त पट्टा दुकान बाबत् जारी नहीं किया हुआ है, केवल मात्र दुकान का पट्टा बनवाने के लिए रेकर्ड में काट–छाट की गई है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 116 दिंनाक 24॰11॰1974 के अनुसरण में जारी किया जाना बताया गया है, प्रस्ताव संख्या 116 का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रस्ताव में भी नवतनमल के पट्टे का इन्द्राज दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी पट्टे का इन्द्राज दर्ज नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा नियम विरूद्ध तरीके से पूर्ववर्ती तारीखो में रेकर्ड में काट–छाट करके जारी किया गया है।

4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से यदि वास्तव में वर्णित तारीख को पट्टा जारी किया हुआ होता तो उक्त पट्टे पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम के आगे नाबालिग कुदरती वली के जरिये पट्टा जारी किया हुआ अवश्य ही दर्ज होता, किन्तु पंचायती राज नियमों के अंतर्गत नाबालिग के नाम से पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया हुआ होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी पट्टे में, पट्टा जारी करने का शुल्क 1000/– रूपये दर्शाया हुआ है, जबकि पट्टा रजिस्टर की नकल लेने पर उसमें 400/– रूपये की राशि दशाई हुई है तथा उक्त 1000/– रूपये की राशि किस रसीद संख्या के जरिये जमा की गई, वह पट्टे में उल्लेखित नहीं है तथा उसी पट्टे में नियम 266 के अनुसरण में रकम निःशुल्क दर्ज की हुई है। यहाँ यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि निःशुल्क पट्टे का विवरण पट्टा रजिस्टर में इन्द्राज नहीं है। पट्टा रजिस्टर में राशि 400/– उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में पट्टे एवं पट्टा रजिस्टर में रेकर्ड का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested

इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा फर्जी तरीके से रेकर्ड में काट–छाट करवाकर उक्त पट्टा बनवाया है।

6. यह है कि विवादित दुकान निगरानीकर्ता के कब्जे एवं स्वामित्व की आई हुई है। प्रार्थी ने उक्त दुकान पेमाराम पुत्र श्री अमराराम माली, निवासी– पालासनी को किराये पर दे दी, जिसका किरायानामा भी प्रार्थी के पुत्र विकास एवं पेमाराम के मध्य निष्पादित किया हुआ है। कुछ समय तक तो पेमाराम ने प्रार्थी को किराया अदा किया, तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01, जो कि प्रार्थी की पूर्व पत्नी की सन्तान है, ने किरायेदार से मिली भगत करके उक्त दुकान का किराया स्वयं लेने के लिए और दुकान को हड़प करने के लिए उक्त फर्जी पट्टा पंचायत के रेकर्ड में काट–छाट करके प्राप्त किया है। उक्त पंचायत के रेकर्ड में काट–छाट हेतु अप्रार्थी संख्या 01, तत्कालीन ग्राम सेवक व प्रार्थी के भाई प्रकाशचंद एवं उसके पुत्र ने षडयंत्र रचकर दुकान को हड़प करने के लिए उक्त फर्जी पट्टा तैयार किया है, जो पंचायत का मूल रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट नजर आ रहा है तथा प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी होने पर प्रार्थी के द्वारा उक्त निगरानी याचिका के साथ–साथ पुलिस थाना डांगियावास में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 79 / 2019 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 120–बी भादस में दर्ज करवाई है, जिसका अनुसंधान श्री जालमसिंह, एस॰आई॰ के द्वारा किया जा रहा है। किन्तु पंचायत का मूल रेकर्ड श्रीमान् के द्वारा तलब कर लिये जाने के कारण अनुसंधान पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

7. यह है कि उक्त पट्टे में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर दो दुकाने निर्मित है, उक्त भूखण्ड के दोनों तरफ सड़क होने से आगे पीछे खुलती हुई दो दुकाने निर्मित की हुई है, जिसमें खारी रोड़ की तरफ खुलने वाली दुकान पेमाराम को किराये पर दे रखी है तथा कृष्ण मन्दिर की रोड़ पर खुलने वाली दुकान आज भी निगरानीकर्ता के कब्जें में है, जिसमें निगरानीकर्ता का ताला लगा हुआ है, तथा उक्त दुकान में प्रार्थी का सामान रखा हुआ है तथा निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त दुकानों का पट्टा जारी नहीं किये जाने के कारण कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उक्त दुकानो में से एक दुकान पेमाराम को किराये पर दे रखी है, उसका किराया पेमाराम के द्वारा उक्त फर्जी पट्टा बनवाने के पश्चात् देना बंद कर दिया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलकर पेमाराम ने उक्त दुकान को हड़प करने की योजना बनाई। जिस पर पेमाराम के विरूद्ध निगरानीकर्ता के द्वारा एक सिविल वाद प्रस्तुत किया, उक्त दीवानी वि[illegible] प्र[illegible]ण संख्या 497 / 2019 बअनवान शांतिलाल बनाम पेमाराम [illegible] 05.03.2020 के जरिये किरायेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:57:24 IST
Reason: SelfAttested

पेमाराम को पाबंद किया गया है कि वह दुकान में किसी भी प्रकार की तोड़–फोड़, रद्दोबदल, निर्माण कार्य नहीं करेगा, तथा न ही किसी को कब्जा सुपुर्द करेगा। विवादित दुकान की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पेमाराम को पाबंद किया हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टे में वर्णित दुकाने निगरानीकर्ता के स्वामित्व की आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त फर्जी पट्टा रेकर्ड में काट–छाट करके बनाया है, जो रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित हो रहा है। इस आधार पर निगरानीकर्ता की याचिका स्वीकार किया जाकर तथाकथित पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

8. यह है कि वर्ष 1974 में प्रार्थी के पिता के नाम से दूसरी सम्पत्ति के बाबत् ग्राम पंचायत पालासनी से पट्टा जारी किया हुआ है, उक्त पट्टे पर ग्राम पंचायत गोलाकार आकृति की मोहर लगी हुई है, तथा पंचायत का रेकर्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त रेकर्ड में भी गोल मोहर लगी हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी उक्त फर्जी एवं विवादित पट्टे पर अण्डाकार आकृति की मोहर लगी हुई है, इससे भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा फर्जी पट्टा बनाते समय पंचायत की उक्त मोहरे भी फर्जी बनवाई है, इस आधार पर उक्त पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः निवेदन है कि बहस में वर्णित तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी फर्जी एवं विवादित पट्टे को अपास्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उक्त फर्जी पट्टा बनाने हेतु जिन–जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर पंचायत के रेकर्ड में काट–छाट की है, उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देश प्रदान करावे, अन्य उचित आदेश जो कानूनन एवं न्याय संगत हो पारित फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि प्रार्थी ने स्वयं को गांव पालासनी का निवासी होना बताया है परन्तु प्रार्थी की गांव पालासनी की आबादी भूमि में कोई कब्जा सुदा अथवा पट्टा सुदा दुकान होने का कथन सरासर गलत है। प्रार्थी के भाई नरवरत्नमल की भी कोई दुकान अथवा भूखण्ड गांव पालासनी के आबादी भूमि में नहीं है। वास्तविकता यह है कि गांव पालासनी में अप्रार्थी संख्या 01 का रहवासीय मकान एवं दुकान स्थित है जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् जारी किया हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि प्रार्थी का कथन सरासर गलत है कि उसकी पट्टा सुदा दुकान गांव पालासनी में स्थित है और पेमाराम को किराये पर दे रखी है जबकि उक्त दुकान अप्रार्थी संख्या 01 की पट्टा सुदा है एवं अप्रार्थी द्वारा ही पेमाराम को किराये पर दी हुई है जिसका किराया पेमाराम अप्रार्थी को देता है एवं किराये की रसीदे भी अप्रार्थी के पास मौजूद है। उक्त दुकान में विद्युत संबंध अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से लिया हुआ है जो चालू हालत में है। अप्रार्थी ने नाम जारी पट्टे के बारे में प्रार्थी को प्रारम्भ से जानकारी थी एवं अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा स्वयं प्रार्थी की मौजूदगी में जारी किया गया है। पंचायत रजिस्टर में स्वयं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की जन्मदात्री माता सोहनीदेवी के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये हुए है। अप्रार्थी संख्या 01 की माता सोहनीदेवी का स्वर्गवास सन् 1978 में हो जाने के पश्चात् प्रार्थी ने दूसरा विवाह कर लिया जिनसे एक पुत्र विकास एवं तीन पुत्रियां प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा दूसरा विवाह कर लेने के पश्चात् अप्रार्थी को घर से निकाल दिया गया। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने स्वयं को जोधपुर शहर का निवासी बताते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध भरण–पोषण का एक प्रकरण भी दर्ज करवाया है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि मिसल संख्या 88/74 में विधिवत् कार्यवाही की जाकर पट्टा जारी किया गया तथा पट्टा रजिस्टर के साथ नक्शा चस्पा किया हुआ है जिस पर स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है, नवरतनमल के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। प्रार्थी का कथन सरासर गलत है कि उक्त पट्टा पीछे की तारीख में जारी किया गया जबकि उक्त पट्टे पर सरपंच के साथ–साथ तत्कालीन उपसरपंच उंकारदान के भी हस्ताक्षर है। उक्त पट्टा सन् 1976 में विधिवत जारी किया गया जिसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में मौजूद है।

अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पालासनी के अभिभाषक श्री गोपालकृष्ण बोहरा ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा कूटरचित नहीं है, यह पट्टा लगभग 40–45 वर्ष पूर्व का बना हुआ है तथा यह पट्टा तत्कालीन सरपंच ने जारी किया तथा जो काट–छांट की गई वह भी पूर्व तत्कालीन उप सरपंच औंकारदान ने तत्कालीन सरपंच श्री इन्द्रविक्रमसिंह की उपस्थिति में की तथा [illegible]ल जैन जो कभी–कभी बाबूलाल के नाम का भी उपयोग करता है ने अपने हस्ता[illegible] कर भरपाया यानि प्राप्त किया, यहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested

यह भी बताना लाजमी होगा कि इसी तरह पूर्व में दिनांक 18.12.1877 को पट्टा संख्या 58 ए मिसल संख्या 143 / 77 ए से प्रार्थी श्री शांतिलाल ने कांट–छांट की है तथा ऐसी कांट–छांट प्रार्थी द्वारा समय–समय पर पूर्व में भी अपने हित के लिये करवायी है। इसी प्रकार पट्टा संख्य 68 व 68 ए पूर्व सरपंच इन्द्रविक्रमसिंह तथा उप सरपंच ओंकारदान द्वारा जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में पट्टा संख्या 68 में दोनों नक्शे के पड़ौस एक ही है। इस पट्टे संख्या 68 में कांटछांट की तथा उसे सुधारने हेतु पूनमचन्द को पट्टा संख्या 68 व 68 ए जारी किया जिसमें किसी प्रकार की कोई कांटछांट नहीं की है तथा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुर्नविधिमान्यकरण का प्रस्ताव लेकर नवीनीकरण किया गया जिसमें किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत की मिलीभगत नहीं है तथा जिन पट्टो का नवीनीकरण किया गया उसकें किसी प्रकार की कोई कांटछांट नहीं थी। ऐसा सुनने में आया है कि पिता व पुत्र के मध्य पुराना पुश्तैनी विवाद है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की प्रथम पत्नी का पुत्र है।

अप्रार्थी संख्या 02 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि पट्टा बुक में कई जगह पूर्व में कांटछांट की गई है तथा कांटछांट पर पूर्व उप सरपंच ने ऊपर व नीचे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित व सही किया है तथा यह बात भी सही है कि बैठक रजिस्टर में नवरतन पुत्र सरदारमल का नाम अवश्य है तथा पूर्व सरपंचों द्वारा इसी तरह की कई कांटछांट की गयी थी परन्तु शांतिलाल (प्रार्थी) का इससे कोई संबंध नहीं है तथा नवरतन की मृत्यु हो चुकी है। इसी प्रकार पट्टा संख्या 71 मिसल संख्या 99 / 74 में भी तत्कालीन सरपंच औंकारदान द्वारा इसी प्रकार की कांटछांट की गई थी। मूल बैठक रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 116 दिनांक 24.11.1974 में इस पट्टे का उल्लेख नहीं किया गया गया है। अतः ऐसे रिकॉर्ड के लिये प्रार्थी द्वारा करीब 44 वर्षों बाद अप्रार्थी संख्या 02 पर कांटछांट मिलीभगत व कूट रचना का आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं है न ही अप्रार्थी संख्या 02 का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से किसी प्रकार का कोई परिचय है।

अप्रार्थी संख्या 02 के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 02 के सामने अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो पट्टा विधि मान्यकरण के लिये पेश किया गया उसमें किसी प्रकार की कोई कांटछांट नहीं थी तथा ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच की उपस्थिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पुर्नविधि मान्यकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया [illegible] प्रतीत हो रहा है कि पूर्व में इस सरपंच द्वारा 68 व 68 ए पट्टे बनाये [illegible] ऐसी प्रथा तत्कालीन सरपंच

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्रविक्रमसिंह व उप सरपंच औंकारदान के कार्यकाल में चल रही थी तथा पट्टा संख्या 58 ए भी बनाया गया जो स्वयं पूनमचंद के पिता शांतिलाल के नाम जारी किया गया है इसमें भी कांटछांट पाई गई है जो दिनांक 18.12.1977 को जारी किया गया था इसलिए अप्रार्थी संख्या 02 पर आरोप लगाना गलत है। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन कर न्यायसंगत आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। निगरानी का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। निगरानी के साथ प्रार्थी ने निगरानी में हुए विलम्ब को क्षमा करने का प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पेश करते हुए बतलाया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 नाम से जारी पट्टे की जानकारी हाल ही में हुई, जब उक्त दुकान में अप्रार्थी के नाम से विद्युत संबंध जारी कर दिया गया था, तब प्रार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विद्युत विभाग में अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में सूचना चाही, तो विद्युत विभाग के द्वारा इस संबंध में सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाई, जिससे प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी ने उक्त निगराधीन पट्टा जारी करवाया है, प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी प्रारम्भ से होने के बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पट्टा जारी करने संबंधी कार्यवाही स्वयं प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर ही आरम्भ की गई एवं पट्टा रजिस्टर में स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थी की माता के हस्ताक्षर है। सन् 1976 में जारी पट्टे के विरूद्ध 43 वर्ष बाद यह निगरानी प्रार्थी ने अप्रार्थी की सौतेली माता के बहकावे में आकर पेश की है। जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। यद्यपि धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रस्तुत निगरानी मियाद से बाधित नहीं है। अतः उक्त प्रस्तुत निगरानी भी उचित समय सीमा में मानते हुए निस्तारण किया जाना निश्चित करते है। पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मूल पट्टा रजिस्टर में पट्टा न0 68 व 58 ए दोनों में कांटछांट है, [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 पूनमचन्द पुत्र शांतिलाल को जारी किया गया है [illegible] के ऊपर तत्कालीन उप सरपंच उकारदान के हस्ताक्षर है तथा पट्टा [illegible] अर्थात् प्राप्त किया में प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टे के बारे में प्रार्थी शांतिलाल उर्फ बाबुलाल को पहले से भलीभाँति जानकारी थी। पट्टा संख्या 58 ए जो स्वयं प्रार्थी शांतिलाल के नाम जारी किया गया है इसमें भी कांटछांट पाई गई है जो दिनांक 18.12.1977 को जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा न्यायालय के सामने मूल पट्टा संख्या 68 व 68 ए पेश किये गये जिसमें किसी प्रकार की कोई कांटछांट नहीं है। ग्राम पंचायत ने भी बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 पूनमचन्द को जारी पट्टा संख्या 68 व 68 ए में किसी प्रकार की कोई कांटछांट नहीं थी तथा अप्रार्थी संख्या 02 के सामने पट्टा संख्या 68 व 68 ए पुर्नविधिमान्यकरण के लिये पेश किये गये तो ग्राम पंचायत ने सरपंच व वार्ड पंच की उपस्थिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पट्टो का पुर्नविधिमान्यकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत पालासनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 20.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested